

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग

अधिसूचना

सं. 07/2014-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी, 2014  
7 फाल्गुन, शक, 1935

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सा.का.नि.808(अ) दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 18/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को रद्द करती है ।

फा.सं.267/07/2014-सी एक्स-8

(पंकज जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार